1.7.19 आज पक्ष उप.। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 3.7.19 को पेश हो।

3.7.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया जो शामिल रहे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी महोदय, हनुमानगढ़ 2
पीठासीन अधिकारी :— कपिल कुमार यादव, R.A.S
राजस्व वाद सं. :— 23/19

1— जसपाल सिंह
2— बूटा सिंह
3— परमजीत सिंह
4— गुरमेज कौर
5— मूर्ति
6— गुड्डी
पुत्र—पुत्रिया स्व. श्री जोरा सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह अकवाम तरखान निवासीयान डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़

7— रनदीप कौर पत्नि सुखधीर सिंह विधवा पुत्रवधू जोरा सिंह जाति तरखान निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8— जरनैल सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह जाति तरखान निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

—वादीगण

बनाम

1— प्रेम कुमार
2— ओमप्रकाश
3— राज कुमार
4— रमेश कुमार
5— श्रीमती कृष्णा देवी
6— श्रीमती ललिता रानी
7— श्रीमती उषा रानी
8— दुष्यन्त कुमार उर्फ दुष्यन्त राज
पुत्र—पुत्रिया स्व. श्री हंसराज अकवाम अरोड़ा निवासीयान डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

9— पाल सिंह
10— सुखदेव सिंह
पिसरान जलावर सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

11— राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत भूमि विनिमय एवं घोषणात्मक आज्ञप्ति</u>

उपस्थितः—
1— श्री हरवेशम सिंह बराड़ एडवोकेट, वादीगण की ओर से
2— श्री मनोज कुमार अरोड़ा एडवोकेट, प्रतिवादीगण सं— 1 ता 10

:— निर्णय :— दिनांकः— 3.7.19

वादीगण द्वारा इस अदालत मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 48,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह कथन किया कि वादीगण सं. 1 ता 6 के स्व. पिता व वादिया सं—7 के ससुर श्री जोरा सिंह वादी सं—8 के नाम से वाका चक न. 9 एस टी जी तहसील हनुमानगढ के खाता सं. 57/58 के पं.न. 87/288(38) कि.न. 19 मे तादादी .253 हैक्टर आराजी दर्ज है। इसी चक मे प्रतिवादीगण सं— 1 ता 10 के नाम से खाता सं. 149/147 पं.न. 88/288 (37) किला न. 3,4,7,8,13,14,17

—2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

तादादी 1.771 हैक्टर आराजी दर्ज है । वादीगण सं– 1 ता 6 के पिता तथा वादिया सं– 7 के ससुर स्व. जोरा सिंह वादी सं–8 ने अर्सा पूर्व अपने नाम से दर्ज आराजी चक न. 9 एस टी जी पं.न. 87/288 मु.न. 38 किला न. 19 की .253 हैक्टर आराजी का प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 के पिता स्व. हंसराज पुत्र जटटू राम से उनके जीवनकाल मे अपनी आराजी के किला न. 19 को देकर उनके नाम से दर्ज उनके कब्जाकाश्त की आराजी पं.न. 88/288(37) किला न. 13 यानि .253 हैक्टर का विनिमय कर लिया और उसी अनुसार काबिज होकर काफी अर्सा से काश्त कर रहे है । लेकिन उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे विनिमयनुसार दर्ज ना हाकर वादीगण सं– 1 ता 6 के पिता व वादीया सं. 8 के ससुर जोरा सिंह व वादी सं– 8 जरनैल सिंह तथा प्रतिवादीगण के नाम से उसी कदर दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से विनिमयनुसार आराजी दर्ज ना होने से वादीगण के हको पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादीगण को बैंक रहन व अन्य कार्यो मे परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड मे विनिमयनुसार प्रतिवादीगण सं 1 ता 8 के नाम से दर्ज पं.न. 88/288 तादादी .253 हैक्टर को वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे। वादीगण को कुछ दिवस पूर्व ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण सं–1 ता 8 ने उपरोक्त वर्णित चक न. 9 एस टी जी की आराजी का एक वाद बअनवान रमेश कुमार बनाम प्रेम कुमार आदि मु.न. 214/18 माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने की डिक्री दिनांक 17–9–18 को प्राप्त कर ली है। उपरोक्त डिक्रीनुसार प्रतिवादीगण सं– 1 तास 8 को विनिमयनुसार आराजी प्राप्त हो गयी है जबकि वादीगण आराजी से महरूम हो गये है और निम्नानुसार डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया कि इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति जारी फरमायी जावे कि चक न. 9 एस टी जी के पं.न. 88/288 मु.न. 37 कुल तादादी 1.771 हैक्टर मे .253 हैक्टर आराजी मे प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 का नाम कलमजन कर विनियमनुसार वादीगण का नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजात जमाबंदिया चक 9 एस टी जी खाता सं. 149/147 खाता हंसराज वगैरा व खाता सं. 57/58 खाता जोरा सिंह वगैरा, चित्र प्रति मूल डिक्री मु.न. 214/18 अनवान रमेश कुमार बनाम प्रेम कुमार आदि निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–18 प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण सं– 1 ता 10 द्वारा जवाबदावा बतौर इकबाल दावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए मुताबिक अनुतोष निर्णिय किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी सं– 11 राज. पैरोकार ने भी अपना जवाब दावा पेश किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा बतौर इकबालदावा का अवलोकन किया गया जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का वाद डिक्री करने पर सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति मे विवाधक विरचित नही किये जाकर बहस अभिभाषकगण सुनी गयी ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

4

दौराने बहस वादीगण अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के कथनो की पुनरावृति कर वाद पत्र का कोई विरोध नही होने व प्रतिवादीगण सं– 1 ता 10 द्वारा जवाबदावा बतौर इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जाने पर सहमति होने का कथन किया है ऐसी स्थिति मे आदेश–12 नियम–6 जाब्ता दीवानी का हवाला देते हुए वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, मनन किया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदिया व निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–18 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्टतया जाहिर है कि वादीगण सं– 1 ता 6 के पिता व वादिया सं–7 के ससुर व वादी सं–8 के नाम से दर्ज खाता सं. 57/58 के पं.न. 87/288 के किला न. 19 तादादी .253 हैक्टर प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 के नाम से खातेदार घोषित किया गया है। वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादीगण सं– 1 ता 10 ने इकबाल दावा पेश कर वाद पत्र को स्वीकार किया है, इस प्रकार वाद पत्र का कोई विरोध ा हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक न. 9 एस टी जी के खाता सं. 149/147 खाता हंसराज वगैरा के पं.न. 88/288 मु.न. 37 किला न. 3,4,7,8, 13,14,17 कुल तादादी 1.771 हैक्टर मे .253 हैक्टर मे प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर विनिमयनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 3 7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल कुमार यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण सं– 23/19

1– जसपाल सिंह
2– बूटा सिंह
3– परमजीत सिंह
4– गुरमेज कौर
5– मूर्ति
6– गुड्डी

पुत्र–पुत्रिया स्व. श्री जोरा सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह अकवाम तरखान निवासीयान डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़

7– रनदीप कौर पत्नि सुखधीर सिंह विधवा पुत्रवधू जोरा सिंह जाति तरखान निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8– जरनैल सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह जाति तरखान निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ । –वादीगण

बनाम

1– प्रेम कुमार
2– ओमप्रकाश
3– राज कुमार
4– रमेश कुमार
5– श्रीमती कृष्णा देवी
6– श्रीमती ललिता रानी
7– श्रीमती उषा रानी
8– दुष्यन्त कुमार उर्फ दुष्यन्त राज

पुत्र–पुत्रिया स्व. श्री हंसराज अकवाम अरोड़ा निवासीयान डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

9– पाल सिंह
10– सुखदेव सिंह

पिसरान जलावर सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

11– राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ । –प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत भूमि विनिमय एवं घोषणात्मक आज्ञप्ति</u>

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरवेशम सिंह बराड़ विद्वान अधिवक्ता वादीगण मिन जामिन मुददई एवं श्री मनोज कुमार अरोड़ा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगणसं–1 ता 10 मिन जानिब मुददायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक न. 9 एस टी जी के खाता सं. 149/147 खाता हंसराज वगैरा के पं.न. 88/288 मु.न. 37 किला न. 3,4,7,8, 13,14,17 कुल तादादी 1.771 हैक्टर मे .253 हैक्टर मे प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर विनिमयनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किया जावे

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.7.19 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

26

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 48,88

राज. काश्त. अधिनियम 23/2019

बअदालत सहायक कलैक्टर महोदय,

हनुमानगढ़

1– जसपाल सिंह 2– बूटा सिंह 3– परमजीत सिंह 4– गुरमेज कौर 5– मूर्ति 6– गुडडी	पुत्र– पुत्रिया स्व. श्री जोरा सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह अकवाम तरखान निवासीयान डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

7– रनदीप कौर पत्नि सुखधीर सिंह विधवा पुत्रवधू जोरा सिंह जाति तरखान निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

8– जरनैल सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह जाति तरखान निवासीयन डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

–वादीगण

बनाम

1– प्रेम कुमार 2– ओमप्रकाश 3– राज कुमार 4– रमेश कुमार 5– श्रीमती कृष्णा देवी 6– श्रीमती ललिता रानी 7– श्रीमती उषा रानी 8– दुष्यन्त कुमार उर्फ दुष्यन्त राज	पुत्र–पुत्रिया स्व. हंसराज अकवाम अरोड़ा निवासीयान डबली तहसील व जिला हनुमानगढ़
9– पाल सिंह 10– सुखदेव सिंह	पिसरान जलवार सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

11– राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ।

वाद बाबत भूमि विनिमय,एवं घोषणात्मक आज्ञप्ति

बरूवे रिकार्ड व शहादत हरकिस्म

श्रीमान जी,

वाद वादीगण निम्न प्रकार से है :–

1– यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध व प्रमाणिक पता शीर्षक वाद मे दर्जानुसार है।

2– यह कि वादीगण सं– 1 ता 6 के स्व. पिता व वादिया सं–7 के ससुर श्री जोरा सिंह व वादी

–2

जसपालसिंह बूटासिंह परमजीतसिंह मूर्तीदेवी जरनैलसिंह रनदीपकौर

Scanned by CamScanner

3.

श्रीमान् जी,
1. दावा/प्रा. पत्र कोर्ट फीस पर पेश किया गया
2. दावा/प्रा. पत्र में अधिवक्ता का वकालतनामा
पेश है/नही है ।
3. दावा/प्रा. पत्र क्षेत्राधिकार में है ।
4. जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है ।
5. वादी/प्रार्थी का पहचान पत्र पेश है
6. सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत है ।
रिपोर्ट पेश है ।

23.1.19

notice issue

23/1/19

Scanned by CamScanner

7

सं– 8 के नाम से वाका चक न. 9 एस टी जी पटवार हल्का चक 9 एस टी जी तहसील हनुमानगढ़ मे खातेदारी आराजी दर्ज कागजात माल पटवार है जिसकी तफसील निम्न है:–

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
9 एस टी जी	87 / 288(38)	19	.253 हैक्टर
57 / 58	प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।		

3–यह कि प्रतिवादीगण सं– 1 ता 10 के नाम से वाका चक न. 9 एस टी जी पटवार हल्का 9 एस टी जी तहसील हनुमानगढ मे खातेदारी दर्ज है जिसकी तफसील निम्न है:–

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
9 एस टी जी	88 / 288(37)	3,4,7,8,13,14,17	1.771 हैक्टर
149 / 147			

प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

3– यह कि वादीगण सं–1 ता 6 के पिता तथा वादिया सं– 7 के ससुर स्व. जोरा सिंह व वादी सं–8 ने काफी अर्सा पूर्व अपने नाम से दर्ज आराजी चक न. 9 एस टी जी पं.न. 87 / 288 मु.न. 38 किला न. 19 की .253 हैक्टर आराजी का प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 के स्व. पिता हंसराज पुत्र श्री जटटू राम से उनके जीवनकाल मे अपनी आराजी के किला न. 19 को देकर उनके नाम से दर्ज व उनके कब्जाकाश्त की आराजी पं.न. 88 / 288(37) किला न. 13 यानि .253 हैक्टर का विनिमय कर लिया था और उसी अनुसार काबिज होकर काफी अर्सा से काश्त कर रहे है। लेकिन उपरोक्त आराजी वर्तमान मे विनियमनुसार दर्ज ना होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से उसी कदर दर्ज चली आ रही है।

4– यह कि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से विनिमयनुसार आराजी दर्ज ना होने से वादीगण के हको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी समान है व उनके हित व अधिकार समान होने के कारण वादीगण अपने पिता के जीवन काल मे किये गये विनिमयनुसार आराजी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। विनिमयनुसार आराजी रिकार्ड मे दर्ज ना रहने से वादीगण को बैंक रहन व अन्य कार्यो हेतू बहुत परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है, वादीगण के हकूको पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। जिस कारण वादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड मे विनिमयनुसार प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 के नाम से दर्ज पं.न. 88 / 288 मे .253 हैक्टर को वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे।

5– यह कि वादीगण को कुछ दिवस पूर्व ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 ने उपरोक्त वर्णित चक न. 9 एस टी जी की आराजी का एक वाद बअनवान रमेश कुमार बनाम प्रेम कुमार आदि प्र.स. 214 / 18 माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाने की डिक्री दिनांक 17.9.18 को प्राप्त कर ली है । उपरोक्त डिक्रीनुसार प्रतिवादीगण सं– 1 ता 8 को विनिमयनुसार आराजी प्राप्त हो गयी है जबकि वादीगण

सपालसिंह बुटासिंह परमजीतसिंह ... देवी जरनैलसिंह रमनदीपकौर

Scanned by CamScanner

अपनी आराजी से महरूम हो गये है। इसलिए भी वादीगण अपने नाम की आराजी को विनिमयनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

6— यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे विनिमयनुसार प्राप्त आराजी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया यही वाद कारण है ।

7— यह कि प्रतिवादी सं—11 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।

8— यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्टफीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है ।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमायी जावेः—

क— कि इस आशय घोषणात्मक आज्ञप्ति जारी फरमायी जावे कि वादीगण चक न. 9 एस टी के पं.न. 88/288 मु.न. 37 कुल तादादी 1.771 हैक्टर मे .253 हैक्टर आराजी मे प्रतिवादीगण सं— 1 ता 8 का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ख— कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ग— कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे दिलाया जावे।

दिनांकः—24/1/19

वादीगण

जसपाल सिंह, बूटा सिंह, परमजीत सिंह, गुरमेज कौर, मूर्ति,गुडडी पुत्र— पुत्रिया स्व. श्री जोरा सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह,रनदीप कौर पत्नि सुखधीर सिंह विधवा पुत्रवधू जोरा सिंह अकवाम तरखान निवासीयान डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ ,जरनैल सिंह पुत्र श्री रामदित्ता सिंह जाति तरखान निवासीयन डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

सत्यापन

हम वादीगण जिनके हस्ताक्षर आगे नीचे दर्ज है वाद पत्र की मदो को अपने निजी ज्ञान विश्वास से सत्य लिखवाया है कोई तथ्य घटाया बढाया नहीं है। यह सत्यापन मुकाम हनुमानगढ़ मे लिखाया जाकर हमारे द्वारा सत्यापित किया गया।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 13:23:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: